न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल म0प्र0
ग्वालियर म0प्र0

TWENTY RUPEES

R-673-II/14

विहारी कोल उम्र 46 वर्ष आत्मज रामशोरित कोल निवासी—ग्राम निपनिया तहसील सोहागपुर जिला—शहडोल म0प्र0 ——————आवेदक

बनाम

1. गयादीन पटेल आत्मज बबुली पटेल
2. शिवमंगल पटेल आत्मज गयादीन पटेल
3. ढालू पटेल आत्मज गयादीन पटेल
4. शंभू पटेल आत्मज गयादीन पटेल सभी अनावेदकगण निवासी—ग्राम पिपरिया तहसील सोहागपुर जिला—शहडोल म0प्र0 ——— अनावेदकगण

कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
18 FEB 2014
कलेक्टर

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्टर शहडोल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2010—2011 आदेश दिनांक 15.01.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता 1959

मान्यवर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :—

1. यहकि, ग्राम अतरिया तहसील सोहागपुर जिला—शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 236/2ख रकवा 2.16 एकड़ का प्रार्थी/आवेदक के द्वारा विधिवत् सीमांकन करवाया गया था। जिस पर 0.25 एकड़ का कब्जा दखल अनावेदकगणों का होना पाया गया था। प्रार्थी/आवेदक के द्वारा माननीय मातहत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला—शहडोल के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R673-II/14 जिला–शहडोल

बिहारी कोल/ गयादीन पटेल

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	